


परिपत्र सं.-आर.-09/03

समय-समय पर पूर्व में प्रसारित विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकतर शहरी क्षेत्रों एवं अतिक्रमणों के संदर्भ में संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क के साथ "राईट ऑफ वे", "बिल्डिंग लाईन" इत्यादि के विवरण के बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। यह स्थिती उचित नहीं है। अतः विभाग के सभी अति. मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अतिक्रमणों के सम्बन्ध में सभी संवेदनशील बिन्दुओं शहरी क्षेत्रों में "राईट ऑफ वे" एवं "बिल्डिंग लाईन" के मापदण्ड के मय नियमों एवं एक्ट के विवरण सहित बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करावें।


इस विषय में एक माह उपरान्त अनुपालना से अवगत करावें।

  
(डी.सी. कटारा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव  
सा.नि.वि., राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मान. मंत्री महोदय, सा.नि.वि., राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई./भवन/एस.एस., सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संभाग.....(समस्त)।
6. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव/ तकनीकी सहायक-प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (पथ)/अधीक्षण अभियन्ता (बी.ओ.टी.)/अधीक्षण अभियन्ता (यातायात), सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत.....(समस्त)।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड.....(समस्त)।
9. उपनिदेशक (सांख्यिकी)/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सा.नि.वि., को पी.डब्ल्यू.डी. की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।

  
(डी.सी. कटारा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव  
सा.नि.वि., राज. जयपुर